

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय

समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना अन्तर्गत निजी क्षेत्रों में बकरी फार्म (20 बकरी+1 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान की योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामान्य जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि हेतु लक्ष्य के विरुद्ध रिक्त रह गए बकरी फार्म हेतु पुनः विज्ञापन

- **योजना-** निजी क्षेत्रों में बकरी फार्म (20 बकरी+1 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान की योजना ।
- **कार्य क्षेत्र-** योजना का कार्यान्वयन राज्य के 30 जिलों में ।
- **उद्देश्य -** इस योजना का उद्देश्य बकरीपालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्रों **Goat Farm** (20 बकरी+1 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (अधिकतम 1 लाख रुपये प्रति **Goat Farm**) अनुदान देकर स्वरोजगार का सृजन करना ।
- **आवेदन-** विज्ञापन प्रकाशन (प्रथम दिवस) के 21 दिनों के अन्दर ऑनलाईन/मैनुअल आवेदन किया जा सकता है ।
इच्छुक किसान/उद्यमी/बकरी पालक इस योजना हेतु विभागीय वेबसाईट **www.ahd.bih.nic.in** पर दिये गये लिंक पर जाकर अपने **आधार संख्या/वोटर आई0 डी0 कार्ड संख्या** से पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं । ऑनलाईन आवेदन के साथ सभी वांछित कागजातों/अनुलग्नकों को ऑनलाईन अपलोड करना होगा, जो निम्न है:-



भूमि	लगान रसीद/एल0पी0सी0/लीज का एकरारनामा/नजरी नक्शा
राशि	पासबुक/एफ0डी0/राशि से संबंधित अन्य साक्ष्य
प्रशिक्षण	बकरी पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र/अनुभव संबंधित साक्ष्य
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति	जाति प्रमाण पत्र
अन्य	फोटो/आधार/वोटर आई0डी0/पैन/ आवास प्रमाण पत्र

ऑफलाईन या मैनुअल आवेदन विहित प्रपत्र में सभी वांछित अनुलग्नकों साथ संबंधित जिला पशुपालन कार्यालयों को समर्पित किया जाएगा । आवेदन पत्र जाम करने के साथ ही उसे जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा । एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा ।

- **चयन-** वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत योजना एवं तत्क्रम में निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में लाभुकों को चयन किया जाएगा । "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर लाभुकों का चयन जिला स्तर की समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त निदेशालय स्तर के समिति द्वारा किया जाएगा । रिक्तियों की संख्या अनन्तितम है ।
- **प्राथमिकताएँ-** लाभुक के चयन में स्वागत से बकरी फार्म स्थापित करने पर प्राथमिकता दी जाएगी । लाभुक के चयन में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक तथा परम्परागत, अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी । इस हेतु बकरी पालन में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, बकरी पालन से संबंधित अन्य कोई प्रमाण पत्र एवं अनुभव संबंधि साक्ष्य जमा करना होगा ।
- **ऋण/ स्वलागत-** आवेदक चाहे तो बैंक से ऋण लेकर अथवा स्वलागत से बकरी फार्म स्थापित कर सकते हैं । बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं की जायेगी । अनुदान की राशि चयनित लाभुकों को दोनों स्थिति में देय होगा ।

क्र0	जिला का नाम	कोटिवार चयनित किये जाने वाले लाभुकों की संख्या				क्र0	जिला का नाम	कोटिवार चयनित किये जाने वाले लाभुकों की संख्या				क्र0	जिला का नाम	कोटिवार चयनित किये जाने वाले लाभुकों की संख्या			
		सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	कुल रिक्ति			सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	कुल रिक्ति			सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	कुल रिक्ति
1	अरवल	1	1	0	2	12	गया	0	0	1	1	24	लखीसराय	0	0	1	1
2	किशनगंज	0	1	4	5	13	प0 चम्पारण	0	6	2	8	25	शिवहर	0	1	0	1
3	गोपालगंज	0	3	1	4	14	नवादा	0	9	0	9	26	समस्तीपुर	0	8	1	9
4	दरभंगा	0	11	0	11	15	नालन्दा	0	3	0	3	27	सुपौल	0	2	1	3
5	पटना	1	0	1	2	16	पूर्वी चम्पारण	0	7	1	8	28	जमुई	0	0	4	4
6	बक्सर	0	0	1	1	17	पूर्णियाँ	0	2	12	14	29	रोहतास	0	0	2	2
7	बाँका	2	4	8	14	18	भागलपुर	0	0	6	6	30	शेखपुरा	1	0	0	1
8	मधेपुरा	4	6	1	11	19	भोजपुर	0	7	0	7	कुल :-		9	107	63	179
9	सारण	0	8	0	8	20	खगड़िया	0	3	0	3						
10	अररिया	0	6	3	9	21	मधुबनी	0	11	0	11						
11	कटिहार	0	0	11	11	22	मुँगेर	0	2	2	4						
						23	मुजफ्फरपुर	0	6	0	6						

विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश विभाग के वेबसाईट **www.ahd.bih.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता है । विशेष जानकारी संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।

